

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 23/2023

उनवान

1-4 लादु, सालम, हजारी, मु0 हिरु पिता सवाईराम बैरवा निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- रामा पिता खाना भील निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 2- मोहन पिता प्यारा बैरवा निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 3- नारायण पिता मोती बैरवा निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 4- बरदु पिता कृष्ण गुर्जर निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 5- राजु पुत्र मोहन बैरवा निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 6- राजु पिता शंकर गुसाई निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 7- देबी पिता धन्ना बलाई निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 8- मांगु पिता बालु गुसाई निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 9- रामा पिता सुरजमल गुर्जर निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 10- लादु पिता देबी शर्मा निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा
- 11- रामदयाल पिता सोनाथ गुर्जर निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-


दिनांक- 06.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 290 रकबा 0.42 है0, 291 रकबा 0.24 है0, 292 रकबा 0.19 है0, 294/1813 रकबा 0.24 है0, 295 रकबा 0.52 है0, 298 रकबा 0.09 है0, 379 रकबा 0.17 है0, 382 रकबा 0.12 है0, 386 रकबा 0.18 है0, 652 रकबा 0.87 है0, 657 रकबा 0.05 है0, 743 रकबा 0.18 है0, 914 रकबा 0.49 है0, 925 रकबा 0.17 है0, 952 रकबा 0.15 है0 कुल कित्ता 15 रकबा 4.08 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।


प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुण्डेता में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 15 रकबा 4.08 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1600/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।




(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा